भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2771**

**15 दिसम्बर, 2021 के लिए प्रश्न**

**बफर स्टॉक की खरीद**

**2771. श्री गुरजीत सिंह औजला:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बफर स्टॉक को बनाए रखने के लिए लॉकडॉउन के दौरान किसानों से पुराने दाम पर ही उनकी उपज खरीदी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 2020 में लॉकडॉउन के प्रत्येक स्तर पर बफर स्टॉक के लिए किसानों से किन परिवर्तित दामों पर उपज खरीदी गई थीं?

**उत्तर**

**ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री**

**(साध्वी निरंजन ज्योति)**

**(क):** लॉकडाउन अवधि सहित वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में केंद्रीय पूल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद निर्बाध रूप से की गई है। आरएमएस 2020-21 और आरएमएस 2021-22 में क्रमशः 389.92 लाख टन और 433.44 लाख टन गेहूं की मात्रा की खरीद की गई है। केएमएस 2019-20, केएमएस 2020-21 के दौरान केंद्रीय पूल के तहत खरीदे गए धान की मात्रा क्रमशः 770.93 लाख टन और 894.18 लाख टन थी।

लॉकडाउन के दौरान, गेहूं और चावल का स्टॉक बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए पर्याप्त था, बल्कि अधिशेष था।

**(ख):** लॉकडाउन अवधि के दौरान मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया। भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्रीय पूल के लिए गेहूं और धान की खरीद की गई थी।

******